



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04092025-265950
CG-DL-W-04092025-265950

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, अगस्त 17—अगस्त 23, 2025, शनिवार/श्रावण 26—भाद्र 1, 1947
No. 29] NEW DELHI, AUGUST 17—AUGUST 23, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 26—BHADRA 1, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1983 को, जहां तक उनका संबंध फार्मासिस्ट-सह-क्लर्क के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, एतद्वारा नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और करनाल में स्थित सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में फार्मासिस्ट-सह-क्लर्क के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, फार्मासिस्ट-सह-क्लर्क (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 होगा।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है : या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, उपबंध अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा-	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फार्मासिस्ट-सह-क्लर्क	39* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रूपए)	लागू नहीं।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है)। नोट: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, न	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) संबंधित राज्य फार्मेसी परिषद के साथ पंजीकृत किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा; या

				कि असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल तथा लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में, आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मा डिग्री [10+2 के चार वर्ष बाद] (विज्ञान शैक्षणिक स्ट्रीम)।
--	--	--	--	---	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे: - - उप सहायक महानिदेशक (मेडिकल स्टोर) - अध्यक्ष; - डिपो प्रबंधक या सहायक डिपो प्रबंधक - सदस्य; - लेखा अधिकारी - सदस्य; - स्टेशन पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय से एक बाहरी अधिकारी - सदस्य। नोट: उप सहायक महानिदेशक (मेडिकल स्टोर) की अनुपस्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति का नेतृत्व संबंधित डिपो के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं।

[फा. सं. A-12018/07/2020-St.I]

लवकेश सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 11th August, 2025

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government Medical Store Depot (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as it relates to the post of Pharmacist-cum-Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist-cum-Clerk in the Government Medical Store Depot located at New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Guwahati and Karnal namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Government Medical Store Depots, Pharmacist-cum-Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pharmacist-cum-Clerk	39* (2025) *Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.	21-28 years (i) Relaxable for govt. servants upto 40 years upto 45 years in respect of SC/ST in accordance with the instructions or Orders issued by Central Government Note: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for the receipt of applications herein candidates and not the closing date prescribed	(a) (i) 12 th class pass from a recognised Board; (ii) Diploma in Pharmacy from a recognised institute with registration with respective State Pharmacy Council; or (b) B Pharma

					for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti, District and Pangi Sub Divisional of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Laddakh, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep in case of appointment to be made through Employment exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the last day upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Degree [Four years after 10+2) (Science academic stream)] from a recognised institute.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment –whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	100% direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: – - Deputy Assistant Director General (Medical Store) – Chairperson; - Depot manager or Assistant Depot Manager – Member; - Accounts Officer – Member; - An outside Officer from the Central Government office located at the station – Member. Note: In the absence of Deputy Assistant Director General (Medical Store) the Departmental Promotion Committee will be headed by the officer in-charge of the respective Depot.	Not applicable.

[F. No. A-12018/07/2020-St.I]

LAVKESH SEHGAL, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), प्रवक्ता(चीनी अभियांत्रिकी), सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिक) और वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक अभियांत्रिकी) भर्ती नियम, 2017, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जहां तक उनका संबंध सहायक अभियंता (विद्युत) और सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पदों से हैं, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के संबंध में, उनका संबंध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में सहायक अभियंता (विद्युत) और सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, सहायक अभियंता (विद्युत) एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि -उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता – वह व्यक्ति –

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति -जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति -इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और आने रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक अभियंता (यांत्रिक)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10 (रु.56100-177500/-)

चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति:- ऐसे वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक अभियांत्रिकी) या फोरमैन (बॉयलर) या फोरमैन (यांत्रिक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु. 35,400-1,12,400/-) के स्तर 6 में दस साल की नियमित सेवा के साथ और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दो सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि को सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1: संबंधित ग्रेड/पद में अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा के पूर्ण होने की तारीख को प्रोन्नति के लिए संयुक्त पात्रता सूची तैयार की जाएगी। टिप्पण 2: इन संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष की होगी। टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): -

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: -

(अ) (i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किये हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53,100-1,67,800 / -) के स्तर -9 या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो साल की सेवा की है; अथवा

(iii) मूल कैडर या विभाग में समकक्ष या वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100/-) के स्तर -8 या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में चार साल की सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों

अनिवार्य:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; और

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संगठन अथवा संस्थान में डिग्री स्तर पर तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा किसी चीनी कारखाने में पर्यवेक्षक की क्षमता में अथवा दोनों के संयोजन में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की श्रेणी में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति करने वाले प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है:	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति में (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव (शर्करा)/अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग —सदस्य	
3. निदेशक या उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग —सदस्य	
4. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर —सदस्य	
समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति में (स्थायीकरण पर	

विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल हैं:-	
1. संयुक्त सचिव (शर्करा)/अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग —अध्यक्ष	
2. निदेशक/उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग —सदस्य	
3. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर —सदस्य	

1	2	3	4
2. सहायक अभियंता (विद्युत)	01 * (2025) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में भिन्नता हो सकती है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसूचित	लेवल -10 (रु. 56,100-1,77,500/-)

5	6	7
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

8	9	10
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	संयुक्त पद्धति: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) / पदोन्नति

11
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पदोन्नति]: केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (अ) (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स (53,100-1,67,800 / -) के लेवल -9 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में दो साल की सेवा या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष पद; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100 / -) के लेवल -8 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में चार साल की सेवा या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष पद पर अथवा (iv) वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 / -) के लेवल -7 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच साल की सेवा या या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष पद पर अथवा (v) वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 / -) के लेवल -6 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में दस साल की सेवा या या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष पद पर एवं (ब) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव अपेक्षित: - अनिवार्य-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; और
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त संगठन अथवा संस्थान में डिग्री लेवल पर तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा किसी चीनी मिल में पर्यवेक्षक के पद में अथवा दोनों में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

टिप्पण 1: - वेतन मैट्रिक्स (रुपये 35,400- 1,12,400/-) के लेवल 6 में विभागीय फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) में दस साल की नियमित सेवा के साथ निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए बाहरी लोगों के साथ भी विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण 2: - इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) के पद धारण करने वाले विभागीय उम्मीदवार के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष की रहेगी।

टिप्पण 3 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12	13
समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति में (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल हैं:-	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. संयुक्त सचिव (शर्करा)/अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	—अध्यक्ष
2. निदेशक/उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	—सदस्य
3. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	—सदस्य

[फा. सं. ए. 12018/12/2010- एसए- पं (1)]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 14th August, 2025

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in the supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Sugar Engineering), Assistant Professor (Sugar Engineering), Lecturer (Sugar Engineering), Assistant Engineer (Electrical / Mechanical Engineering) and Senior Research Assistant (Mechanical Engineering) Recruitment Rules, 2017, in so far they relate to the posts of Assistant Engineer (Electrical) and Assistant Engineer (Mechanical), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Engineer (Electrical) and Assistant Engineer (Mechanical) in National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distributions, Department of Food and Public Distribution, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Assistant Engineer (Electrical) and Assistant Engineer (Mechanical) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with UPSC relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Assistant Engineer (Mechanical)	01* (2025) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500/-)

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotes.	Promotion failing which by deputation (ISTC)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Promotion: -

Senior Research Assistant (Mechanical Engineering) or Foreman (Boiler) or Foreman (Mechanical) in level 6 of the pay matrix (rs. 35,400-1,12,400/-) with **ten** years of regular in the grade and having successfully completed two weeks training as prescribed by competent authority.

Note 1: The combined eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade/post.

Note 2: The eligibility service shall continue to be eight years for persons holding the feeder posts on regular basis as on the date of notification of these revised rules.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by

more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short-term contract): -

Officers of the Central Government, State Governments, Union Territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings or Universities, recognised Research Institution: -

(a) (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) With **two** years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 of the pay matrix (rs. 53,100-1,67,800/-) or equivalent in the parent cadre or department; or.

(iii) With **four** years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 of the pay matrix (rs. 47,600-1,51,100/-) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

Essential: -

(i) Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; and

(ii) Three years teaching experience at degree level in a recognised Organisation or Institute or three years' experience of working in a sugar factory in a supervisor capacity or in a combination of both.

Desirable: -

Master's degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute.

Note 1: - The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: - The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: - The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Joint Secretary (Sugar)/Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member 3. Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member 4. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member 2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Joint Secretary (Sugar)/Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Chairman 2. Director/Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member 3. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

2. Assistant Engineer (Electrical)	01* (2025) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (rs. 56,100-1,77,500/-)
---------------------------------------	--	---	---

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotes.	Composite Method: Deputation (including short-term Contract)/ Promotion

(11)
Composite method [Deputation (including short-term contract) plus Promotion]: Officers of the Central Government, State Governments, Union territories, autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or Recognised research institutions: (A) (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 of the pay matrix (rs. 53,100-1,67,800/-) or equivalent in parent cadre or department; or (iii) With four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 of the pay matrix (rs. 47,600-1,51,100/-) or equivalent in parent cadre or department; or (iv) With five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 of pay matrix (rs. 44,900-1,42,400/-) or equivalent in parent cadre or department; or (v) With ten years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 of pay matrix (rs. 35,400-1,12,400/-) or equivalent in parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: - (i) Bachelor's Degree in Electrical Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) Three years teaching experience at degree level in a recognised Organisation or Institute or three years' experience of working in a sugar factory in a supervisor capacity or in a combination of both. Desirable: - Master's degree in Electrical Engineering from a recognised University or Institute. Note 1: - The departmental Foreman (Electrical) in the level 6 of the pay matrix (rs. 35,400-1,12,400/-) with ten years' regular service in the grade and possessing the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2: - The eligibility service shall continue to be eight years for departmental candidate holding the post of Foreman (Electrical) on regular basis on the date of notification of these rules. Note 3: - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 4: - The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
------	------

1. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
1. Joint Secretary (Sugar)/Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Chairman	
2. Director/Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member	
3. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member	

[F. No. A-12018/12/2010-SA - Pt (1)]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अभिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम- राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें, आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	18* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)

चयन अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विधा में स्नातक डिग्री।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण- पुष्टि पूरी होने के पश्चात् परिवीक्षा अवधि के दौरान डाटा एंट्री/टंकण दक्षता परीक्षा में सफलतापूर्वक अर्हता पूरी की हो। अंग्रेजी में 27 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब के औसत पर 8000 कुंजी दाब प्रति घण्टे के तत्स्थानी 27	(i) 85% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर विभागीय परीक्षा द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) (ii) 15% सीधी भर्ती द्वारा, टिप्पण 1- विभागीय परीक्षा के लिए रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200/रु.) के अवर श्रेणी लिपिक में से भरी जाएगी जो स्नातक डिग्री या समतुल्य रखते हो और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 2- परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयुसीमा

	शब्द प्रति मिनट)। टंकण का कौशल परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर लिया जाएगा।	साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष है। टिप्पण 3- यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जाए।
--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	
(11)	
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 2 (19,900-63,200/- रु.) में ऐसे अवर श्रेणी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वाशासी निकायों या कानूनी संगठनों, संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सेवा की हो; और (iii) जो समुचित अर्हताएं और अनुभव रखते हो। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगे। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है:	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
--	--

	किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. आचार्य की श्रेणी का अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य	लागू नहीं होता।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. आचार्य की श्रेणी का अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य	

1	2	3	4
2. अवर श्रेणी लिपिक	15* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 ₹0)

5	6	7
अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।

8	9	10
जी हाँ, स्तंभ (10) में उपदर्शित विस्तार तक। (10) में उपदर्शित	दो वर्ष टिप्पणी- पुष्टि पूरी होने के पश्चात् परीक्षा अवधि के दौरान डाटा एंट्री/टंकण दक्षता परीक्षा में सफलतापूर्वक अर्हता पूरी	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10% रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 1 (18,000-56,900 ₹0) में से समूह 'ग' कर्मचारिवृंद में से भरी जाएगी जिनके पास 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। (iii) 5% रिक्तिया वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उन ग्रुप 'सी' कर्मचारियों से

विस्तार तक।	की हो। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब के औसत पर 10500 कुंजी दाब प्रतिघण्टे की या 9000 कुंजी दाब प्रतिघण्टे के तत्स्थानी 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति) टंकण का कौशल परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर लिया जाएगा।	भरी जायेगी, जिन्होंने वेतन ग्रेड a1800/- रु वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1- परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समुदायों के लिए 50 वर्ष) टिप्पण 2- यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जाए।
-------------	---	---

11		
स्तंभ (10) में कथित अनुसार।		
12	13	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. आचार्य की श्रेणी का अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. आचार्य की श्रेणी का अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य	लागू नहीं होता।	

[फा. सं. ए.12018/3/2024-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 14th August, 2025

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distributions, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Upper

Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.
(1)	(2)	(3)
1. Upper Division Clerk	18* (2025) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.

Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100/-)	Non-selection	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty year in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
(i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or Institute.	Not applicable	Two years for direct recruitment. Note – Confirmation to be done after successfully qualifying in Data Entry /typing proficiency test during probation period. Typing speed of 27 words per minute in English (27 words per minute correspond to approx. 8000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word). Skill test of typing will be conducted only on computers.

Method of recruitment, whether by direct	In case of recruitment by promotion or deputation/
--	--

recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
(i) 85% by promotion, failing which by departmental examination failing both by deputation (including short-term contract). (ii) 15% by direct recruitment Note 1: For departmental examination vacancies shall be filled from amongst the Lower Division Clerk in the pay level-2 of the pay matrix (Rs. 19,900-63,200) and who possess bachelor degree or equivalent and have rendered five years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. Note 2: The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years in the case of general candidates and 50 years in the case of candidates belonging to the Schedule castes and the Schedule Tribes. Note 3: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent year so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualifying at a later examination.	Promotion: Lower Division Clerk in the pay level-2 of the pay matrix (Rs. 19900-63200/-) with eight years' service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years', whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government, State Government, Autonomous Bodies or Statutory Organisations, Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised University or Recognised Research Institutions: - (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With eight years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 2 of the pay matrix (Rs. 19900-63200/-) or equivalent in the present cadre or department; and (ii) Possessing appropriate qualifications and experience. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract), in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering the promotion) consisting of: - 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. An officer in the grade of Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Senior Administrative Officer, National Sugar	Not applicable

Institute, Kanpur Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering the confirmation) consisting of: - 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. An officer in the grade of Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	
--	--

(1)	(2)	(3)
2. Lower Division Clerk	15* (2025) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.

(4)	(5)	(6)
Level 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200/-)	Non-selection	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty year in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board.	Yes, to the extent indicated column (10)	Two years. Note – Confirmation to be done after successfully qualifying in Data Entry /typing proficiency test during probation period. Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word). Skill test of typing will be conducted only on computers.

(10)	(11)
(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the pay level-1 of the pay matrix (Rs. 18000- 56900) and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years' regular service in posts in level 1 of the pay matrix (Rs. 18000- 56900). Note 1: The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the communities belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes). Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent year so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualifying at a later examination.	As stated in column (10).

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering the promotion) consisting of: -	Not applicable.
1. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman	
2. An officer in the grade of Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member	
3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering the confirmation) consisting of: -	
1. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman	
2. An officer in the grade of Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member	
3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	

[F. No. 12018/3/2024-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 140.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, मल्टी टास्किंग स्टाफ, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2016 का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर यह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो आता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति की इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति -जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	60* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (Rs.18,000- 56,900)

चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	अठारह वर्ष और पच्चीस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) टिपण्ण : कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक होगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बोर्ड से दसवी कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।
(11)	(12)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष; 2. सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य;

	3. वरिष्ठ तकनीकी सहायक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - -सदस्य
--	--

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)
लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए.12018/8/2024-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 14th August, 2025

G.S.R. 140.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Multi-Tasking Staff, Group ‘C’ Posts, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff, in the National Sugar Institute under the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely:—

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Multi-Tasking Staff, (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Multi-Tasking Staff.	60* (2025) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000- 56,900).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Between 18 to 25 years of age. Note1: The Crucial date for determining the age-limit shall as advertised by the Staff Selection Commission.	10 th class pass from a recognised Board or equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(11)	(12)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairperson; 2. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member; 3. Senior Technical Assistant, National Sugar Institute, Kanpur - Member.

Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Not applicable.

[F. No. A.12018/8/2024-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.